Demand to change the name of New Delhi Railway Station to 'Hind Ki Chaadar'

श्रीमती रंजीत रंजन (छत्तीसगढ़): सभापति जी, आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को "हिंद दी चादर" - श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो सिखों के नौवें गुरु थे, उनके नाम पर रखने का आग्रह करती हूं। मान्यवर, पुरी साहब भी यहाँ बैठे हैं, वे अच्छी तरह से हिस्ट्री जानते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम "हिंद दी चादर", गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर इसलिए होना चाहिए, क्योंकि उनकी शहीदी पुरानी दिल्ली शीशगंज गुरुद्वारा साहिब चाँदनी चौक में हुई थी। मैं आपके द्वारा सरकार से आग्रह करूंगी कि 24 नवंबर, 2024 को - जब गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी गुरु पर्व मनाया जाता है, हम उनकी शहीदी याद करते हैं - उस वक्त अगर सरकार चाहे, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नाम की घोषणा हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से कर सकती है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब से लोहा लिया था। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में मानव अधिकारों के लिए अगर किसी ने पहली शहादत दी थी, तो वह नाम गुरु तेग बहादुर साहब का था। वे सिखों के नौवें गुरु थे, जिन्होंने तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए कुरबानी दी थी। जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास गए थे, जब औरंगजेब ने पूरी दुनिया और भारत में गदर मचाया था, लोगों को जबरदस्ती धर्मांतरण के लिए मजबूर किया था, तब सारे लोग, खासकर कश्मीरी पंडित और हिंदू लोग गुरु तेग बहादुर जी के पास गए थे और उनसे अपने धर्म को बचाने की गुहार लगाई थी। तब, उस शर्त में औरंगजेब ने कहा था कि या तो गुरु तेग बहादुर जी खुद मुसलमान बन जाएं या वे बलिदान दें। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहीदी देकर इस देश की संस्कृति को और इस बात को बताया था कि मानवता से ऊपर कुछ नहीं है और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ...(**समय की घंटी**)... किसी भी धर्म का यह राइट नहीं है कि दूसरे धर्म में आने के लिए आप उसे जबरदस्ती का धर्मांतरण करवाएं।...

श्री सभापति : मैडम, 12 बज गए हैं।

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Ranjeet Ranjan: Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh) and Dr. Fauzia Khan (Maharashtra).

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, after giving my thoughtful consideration and taking into account the import of the situation given in the notices under Rule 267 by Shri Sudhanshu Trivedi, Shri Ram Chander Jangra, Shri Surendra Singh Nagar, Ms. Swati Maliwal and others, I find that the issue concerns our promising youth demographic dividend and is wholesome for development of the nation. The issue involves urban